



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05052026-272249
CG-DL-E-05052026-272249

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2105]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 4, 2026/वैशाख 14, 1948

No. 2105]

NEW DELHI, MONDAY, MAY 4, 2026/VAISAKHA 14, 1948

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2192(अ).— विध्वंसक कीट एवं नाशीजीव अधिनियम, 1914 (1914 का संख्यांक 2) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) आदेश, 2003 में और अधिक संशोधन करने के लिए एतद्वारा, निम्नलिखित आदेश जारी करती है, अर्थात:-

लघु शीर्षक और प्रारंभ- (1) इस आदेश को वनस्पति संगरोध (भारत में आयात का विनियमन) (चौथी संशोधन) आदेश, 2026 कहा जाएगा

(2) यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. अनुसूची VI में संशोधन.- 'ग्रीस' से 'एक्रिनिडिया चाइनेंसिस' और 'ए. डेलिसिओसा (कीवी)' के 'उपभोग के लिए फल' से संबंधित क्रम संख्या 7 के विरुद्ध कॉलम (6) में विद्यमान प्रविष्टियों को निम्नलिखित प्रविष्टियों से प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

उद्गम देश	फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र में अतिरिक्त घोषणाएं शामिल करने की आवश्यकता	आयात की विशेष शर्तें
(4)	(5)	(6)
(vii) ग्रीस	क) एस्पिडियोटस नेरी (औकुबा स्केल) ख) बोट्रीओस्फेरिया डोथिडिया (बादाम का कैंकर रोग) ग) सेराटाइटिस कैपिटटा (मेडिटेरेनियन फ्रूट फ्लाई) घ) लोबेसिया बोट्राना (अंगूर बेरी कीट) ड.) फाइटोफथोरा क्रिप्टोगिया (टोमेटो फुट रॉट) च) स्यूडोमोनास विरिडीफ्लेवा (टमाटर का जीवाणु पत्ती झुलसा रोग (अमेरिका))	13 दिन या उससे अधिक समय के लिए शिपमेंट से पूर्व/ ट्रांजिट में 0 ⁰ C या उससे कम तापमान पर कोल्ड ड्रीटमेंट; 14 दिन या उससे अधिक समय के लिए 0.55 ⁰ C या उससे कम तापमान पर; 18 दिन या उससे अधिक समय के लिए 1.1 ⁰ C या उससे कम तापमान पर तथा ट्रांजिट में प्रशीतन (या) 21 ⁰ डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक या उसके समतुल्य पर 3 ½ घंटे के लिए 32 ग्राम/मी ³ की दर से मिथाइल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन। मूल/पुनर्निर्यात देश से जारी फाइटोसैनिटरी प्रमाणपत्र पर दिया गया उपचार का समर्थन किया जाना होगा।

[फा. सं. 18-13/2007-पी.पी.।]

मुक्तानन्द अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पणी: वनस्पति संगरोध (भारत के आयात का विनियमन), आदेश, 2003 को 18 नवम्बर, 2003 के का.आ. 1322 (अ.) में प्रकाशित किया गया था तथा इसके बाद दिनांक 6 फरवरी, 2004 के का.आ. 167 (अ.), दिनांक 29 मार्च, 2004 के का.आ. 427 (अ.), दिनांक 31 मई, 2004 के का.आ. 644 (अ.), दिनांक 25 फरवरी, 2005 के का.आ. 263 (अ.), दिनांक 31 मार्च, 2005 के का.आ. 462 (अ.), दिनांक 14 जुलाई, 2006 के का.आ. 1121 (अ.), दिनांक 31 जुलाई, 2006 के का.आ. 1353 (अ.), दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 के का.आ. 1873 (अ.), दिनांक 6 दिसम्बर, 2006 के का.आ. 2074 (अ.), दिनांक 3 दिसम्बर, 2007 के का.आ. 2069 (अ.), दिनांक 1 जनवरी, 2008 के का.आ. 3 (अ.), दिनांक 8 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2847 (अ.), दिनांक 15 दिसम्बर, 2008 के का.आ. 2888(अ.), दिनांक 9 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2286 (अ.), दिनांक 16 सितम्बर, 2009 के का.आ. 2390 (अ.), दिनांक 23 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3269 (अ.), दिनांक 24 दिसम्बर, 2009 के का.आ. 3298 (अ.), दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के का.आ. 907 (अ.), दिनांक 27 अगस्त, 2010 के का.आ. 2095 (अ.), दिनांक 15 सितम्बर, 2010 के का.आ. 2284 (अ.), दिनांक 11 अक्टूबर, 2010 के का.आ. 2516 (अ.), दिनांक 4 नवम्बर, 2010 के का.आ. 2711 (अ.), दिनांक 28 दिसम्बर, 2010 के का.आ. 3052 (अ.), दिनांक 28 अप्रैल, 2011 के का.आ. 887 (अ.), दिनांक 21 दिसम्बर, 2011 के का.आ. 2845 (अ.), दिनांक 17 फरवरी, 2012 के का.आ. 296 (अ.), दिनांक 23 नवम्बर, 2012 के का.आ. 2775 (अ.), दिनांक 21 मार्च, 2013 के का.आ. 799 (अ.), दिनांक 28 मई, 2013 के का.आ. 1378 (अ.), दिनांक 14 जून, 2013 के का.आ. 1531 (अ.), दिनांक 26 सितम्बर, 2013 के का.आ. 2919 (अ.), दिनांक 13 जून, 2014 के का.आ. 1508 (अ.), दिनांक 27 जून, 2014 के का.आ. 1632 (अ.), दिनांक 12 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2320 (अ.), दिनांक 29 सितम्बर, 2014 के का.आ. 2542 (अ.), दिनांक 11 नवम्बर, 2014 के का.आ. 2879 (अ.), दिनांक 10 दिसम्बर, 2014 के का.आ. 3114 (अ.), दिनांक 26 मई, 2015 के का.आ. 1413 (अ.), दिनांक 15 सितम्बर, 2015 के का.आ. 2496 (अ.), दिनांक 13 जनवरी, 2016 के का.आ. 101 (अ.), 7 मार्च, 2016 के का.आ. 608 (अ.), दिनांक 25 मई, 2016 के का.आ. 1873 (अ.), दिनांक 20 जून, 2016 के का.आ. 2192 (अ.) दिनांक 29 जून, 2016 के का.आ. 2248 (अ.), दिनांक 05 जुलाई, 2016 के का.आ. 2453(अ.), दिनांक 5 अगस्त, 2016 के का.आ. 2614(अ.) एवं दिनांक 12 जनवरी, 2017 के का.आ. 264(अ.), दिनांक 3 फरवरी, 2017 के का.आ. 364 (अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2017 के का.आ. 1344 (अ.), दिनांक 8.05.2017 के का.आ. 1475 (अ.), दिनांक 21.06.2017 के का.आ. 2019 (अ.), दिनांक 6.07.2017 के का.आ. 2152(अ.), दिनांक 23.08.2017 के का.आ. 2752(अ.) और दिनांक 06.10.2017 के का.आ. 3293(अ.) और दिनांक 7 नवम्बर, 2017 के का.आ. 3556 और दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 के का.आ. 4082 (अ.) तथा दिनांक 20 मार्च, 2018 के का.आ. 1248 (अ.), दिनांक 10 मई, 2018 के का.आ. 1873 (अ.), दिनांक 15 मई, 2018 के का.आ. 1930, दिनांक 24 मई, 2018 के का.आ. 2059 (अ.), दिनांक 4 जून, 2018 के का.आ. 2286 (अ.), दिनांक 29 जून, 2018 के का.आ. 3194 (अ.), दिनांक 10 जुलाई, 2018 के का.आ. 3392 (अ.) और दिनांक

16 अगस्त, 2018 के का.आ. 3998 (अ.), दिनांक 3 अक्टूबर, 2018 के का.आ. 5158 (अ.), दिनांक 22 नवंबर, 2018 के का.आ. 5830 (अ.), दिनांक 18 दिसम्बर, 2018 के का.आ. 6224 (अ.), दिनांक 19 फरवरी, 2019 के का.आ. 941 (अ.) दिनांक 6 मई, 2019 के का.आ. 1728 (अ.), दिनांक 24 मई, 2019 के का.आ. 1817 (अ.), दिनांक 11.06.2019 के का.आ. 1954 (अ.), दिनांक 15 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2525 (अ.), दिनांक 18 जुलाई, 2019 के का.आ. सं. 2603 (अ.), दिनांक 29 अगस्त, 2019 के का.आ. सं. 3141 (अ.), दिनांक 1 अक्टूबर, 2019 के का.आ. सं. 3594 (अ.), दिनांक 24 अक्टूबर, 2019 के का. आ. सं. 3845 (अ.), दिनांक 8 नवंबर, 2019 के का.आ. सं. 4083 (अ.), दिनांक 21 दिसंबर, 2019 के का.आ. सं. 4615 (अ.), दिनांक 24 जनवरी, 2020 के का.आ. सं. 352 (अ.), दिनांक 31 जनवरी, 2020 के का.आ. सं. 488 (अ.), दिनांक 2 मार्च, 2020 के का. आ. सं. 953(अ.), दिनांक 27 अप्रैल, 2020 के का. आ. सं. 1404(अ.), दिनांक 20 जुलाई, 2020 के का. आ. सं. 2390(अ.) और दिनांक 14 अक्टूबर, 2020 के का. आ. सं. 3646(अ.), दिनांक 17 नवंबर 2020 के का. आ. सं. 4243(अ.) और 10 फरवरी, 2021 के का. आ. सं. 681(अ.), दिनांक 07.04.2021 के का.आ.सं.1491 (अ.), दिनांक 10 जून, 2021 के का. आ. सं. 2511(अ.), दिनांक 10 जून, 2021 के का. आ. सं. 2512(अ.), दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 के का. आ. सं. 4265(अ.) और दिनांक 05 अप्रैल, 2022 के का. आ. सं. 1885(अ.), 26 जुलाई, 2022 के का.आ. 3456 (अ.) और दिनांक 03 अगस्त, 2022 के का. आ. सं. 3777(अ.), दिनांक 26 सितंबर 2022 के का. आ. सं. 4551 (अ.), दिनांक 13th अक्टूबर, 2022 के का. आ. सं. 4871 (अ.), दिनांक 28 अक्टूबर, 2022 के का. आ. सं. 5167 (अ.), दिनांक 30 नवंबर, 2022 के का. आ. सं. 5573(अ.) और दिनांक 21 अप्रैल, 2023 के का. आ. सं. 1801 (अ.), और दिनांक 10 मई, 2023 के का. आ. सं. 2153 (अ.), दिनांक 31 मई, 2023 के का. आ. सं. 2360 (अ.) दिनांक 12 जून, 2023 के का.आ. सं. 2680, दिनांक 20 जुलाई, 2023 के का.आ. सं. 3246, दिनांक 16 अगस्त 2023 के का.आ. सं. 3682 (अ.), दिनांक 04 सितम्बर, 2023 के का. आ. सं. 3945 (अ.), दिनांक 14 सितम्बर, 2023 के का. आ. सं. 4082 (अ.), दिनांक 25 सितम्बर, 2023 के का. आ. सं. 4228 (अ.), दिनांक 06 अक्टूबर, 2023 के का. आ. सं. 4366 (अ.), दिनांक 11 अक्टूबर, 2023 के का. आ. सं. 4552 (अ.), दिनांक 19 अक्टूबर, 2023 के का. आ. सं. 4640 (अ.), दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 के का. आ. सं. 4739 (अ.), दिनांक 1 नवम्बर 2023 के का. आ. सं. 4764 (अ.) दिनांक 19 दिसंबर, 2023 के का. आ. सं. 5389 (अ.) दिनांक 08 जनवरी 2024 के का. आ. सं.94(अ.), दिनांक 30 जनवरी, 2024 के का. आ. सं.400 (अ.), दिनांक 28 मार्च, 2024 के का. आ. सं.1509 (अ.), दिनांक 28 मार्च, 2024 के का. आ. सं.1591 (अ.), दिनांक 28 मार्च, 2024 के का. आ. सं.1593 (अ.), दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के का. आ. सं.1601 (अ.), दिनांक 2 अप्रैल, 2024 के का. आ. सं.1602 (अ.) दिनांक 5 जून, 2024 के का. आ. सं.2195 (अ.), दिनांक 07 जून, 2024 के का. आ. सं.2221(अ.), दिनांक 19 जून, 2024 के का. आ. सं.2477(अ.), दिनांक 22 जुलाई, 2024 के का. आ. सं.2914 (अ.), दिनांक 24 जुलाई, 2024 के का. आ. सं.2986 (अ.), दिनांक 22 अगस्त, 2024 के का. आ. सं.3551 (अ.), दिनांक 10 सितंबर, 2024 के का. आ. सं.3890(अ.), दिनांक 27 सितंबर, 2024 के का. आ. सं.4261 (अ.), दिनांक 12 नवंबर, 2024के का. आ. सं.4916 (अ.), दिनांक 11 नवंबर, 2024 के का. आ. सं.4995 (अ.), दिनांक 27 जनवरी, 2025 के का. आ. सं.500 (अ.), दिनांक 27 जनवरी, 2025 के का. आ. सं.499 (अ.) दिनांक 30 जनवरी, 2025 के का. आ. सं.532 (अ.), दिनांक 07 फरवरी, 2025 के का. आ. सं 678 (अ.) दिनांक 18 फरवरी, 2025 के का. आ. सं 976 (अ.) दिनांक 21 फरवरी, 2025 के का. आ. सं 944(अ.), दिनांक 04 मार्च, 2025 के का. आ. सं 1089 (अ.), दिनांक 16 अप्रैल, 2025 के का. आ. सं 1765 (अ.), दिनांक 20 जून, 2025 के का. आ. सं 2772 (अ.), दिनांक 09 अक्टूबर, 2025 के का. आ. सं 4641 (अ.), दिनांक 06 नवंबर, 2025 के का. आ. सं 5047 (अ.), दिनांक 16 जनवरी, 2026 के का. आ. सं 271 (अ.), दिनांक 03 फरवरी, 2026 के का. आ. सं 492 (अ.) एवं दिनांक 27 मार्च, 2026 के का. आ. सं 1645 (अ.) के माध्यम से संशोधित किया गया।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department Of Agriculture And Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2192(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the Destructive Insects and Pests Act, 1914 (2 of 1914), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003, namely:-

Short title and Commencement.- (1) This Order may be called the Plant Quarantine (Regulation of Import into India) (Fourth Amendment) Order, 2026.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. Amendment of Schedule VI.- The existing entries in column (6) against serial number 7 relating to 'Fruits for consumption' of '*Actinidia chinensis* and *A. deliciosa* (Kiwi)' from 'Greece' will be replaced with the following entries namely:-

Country of Origin	Additional declarations required to be incorporated into Phytosanitary Certificate	Special conditions of import
(4)	(5)	(6)
(vii) Greece	Free from: a) <i>Aspidiotus nerii</i> (aucuba scale) b) <i>Botryosphaeria dothidea</i> (canker of almond) c) <i>Ceratitidis capitata</i> (Mediterranean fruit fly) d) <i>Lobesia botrana</i> (grape berry moth) e) <i>Phytophthora cryptogea</i> (tomato foot rot) f) <i>Pseudomonas viridiflava</i> (bacterial leaf blight of tomato (USA))	Pre-shipment/ in-transit cold treatment at 0°C or below for 13 days or above; 0.5°C or below for 14 days or above; 1.1°C or below for 18 days or above plus in transit refrigeration (or) Methyl bromide fumigation @ 32 g/m ³ for 3 ½ hrs at 21°C or above or equivalent thereof. The treatment should be endorsed on Phytosanitary certificate issued at the country of origin/re-export

[F. No. 18-13/2007-PP.I]

MUKTANAND AGRAWAL, Jt. Secy.

Note: The Plant Quarantine (Regulation of Import into India) Order, 2003 was published in the Gazette of India, vide, number S.O. 1322 (E) dated 18th November, 2003, and subsequently amended vide number S.O.167(E), dated 6th February 2004, S.O. 427(E), dated 29th March, 2004, S.O. 644(E), dated 31st May 2004, S.O. 263(E), dated 25th February 2005, S.O. 462 (E), dated 31st March 2005, S.O. 1121 (E), dated 14th July 2006, S.O. 1353 (E), dated 31st July 2006, S.O. 1873 (E), dated 31st October 2006, S.O. 2074 (E), dated 6th December 2006, S.O. 2069 (E), dated 3rd December, 2007, S.O. 3(E), dated 1st January, 2008, S.O. 2847 (E), dated 8th December, 2008, S.O. 2888 (E), dated 15th December, 2008, S.O. 2286 (E), dated 9th September, 2009, S.O. 2390 (E), dated 16th September, 2009, S.O. 3269 (E), dated 23rd December, 2009, S.O. 3298 (E), dated 24th December, 2009, S.O. 907 (E), dated 21st April, 2010, S.O. 2095(E), dated 27th August, 2010, S.O. 2284 (E), dated 15th September, 2010, S.O. 2516 (E), dated 11th October, 2010, S.O. 2711 (E) dated 4th November, 2010, S.O. 3052(E) dated 28th December, 2010, S.O. 887 (E) dated 28th April, 2011, S.O. No. 2845 (E) dated 21st December, 2011, S.O. No.296 (E) dated 17th February, 2012, S.O. 2775(E) 23rd November, 2012 S.O.799(E) dated 21st March, 2013, S.O.1378(E) dated 28th May, 2013, S.O.1531(E) dated 14th June, 2013, S.O.2919(E) dated 26th September, 2013, S.O.1508(E) dated 13th June, 2014, S.O. No.1632(E) dated 27th June, 2014, S.O. No.2320(E) dated 12th September, 2014, S.O. No.2542(E) dated 29th September, 2014, S.O. No.2879(E) dated 11th November, 2014, S.O. No.3114(E) dated 10th December, 2014, S.O. No. 1413(E) dated 26th May, 2015, S.O. No. 2496(E) dated 15th September, 2015, S.O. No. 101(E) dated 13th January, 2016, S.O. No. 608(E) dated 7th March, 2016 S.O. No.1873(E) dated 25th May, 2016, S.O. No.2192(E) dated 20th June, 2016, S.O. No. 2248(E) dated 29th June, 2016, S.O. No.2453(E) dated 5th July, 2016, S.O. No.2614(E) dated 5th August, 2016 and S.O. No.264(E) dated 12th January, 2017, S.O. No. 364(E) dated 3rd February, 2017, S.O. 1344 (E) dated 27th April, 2017, S.O. 1475 (E) dated 8th May, 2017, S.O. 2019 (E) dated 21st June, 2017 and S.O. 2152 (E) dated 6th July, 2017 and S.O. No. 2752 (E) dated 23rd August, 2017, S.O. No. 3293(E) dated 6th October, 2017, S.O. No.3556(E) dated 7th November, 2017 and S.O. No. 4082(E) dated 27th December, 2017, S.O. No. 1248(E) dated 20th March, 2018, S.O. No. 1873(E) dated 10th May, 2018, S.O. No.1930 dated 15th May, 2018, S.O. No. 2059(E) dated 24th May, 2018, S.O. No. 2286(E) dated 4th June, 2018 and S.O. No. 3194(E) dated 29th June, 2018, S.O. No. 3392(E) dated 10th July, 2018, S.O. No. 3998(E) dated 16th August, 2018, S.O. No. 5158(E) dated 3rd October, 2018 and S.O. No. 5830(E) dated 22nd November, 2018 and S.O. No. 6224(E) dated 18th December, 2018, S.O. No.941(E) dated 19th February, 2019 and S.O. No. 1728(E) dated 6th May, 2019, S.O. No. 1817(E) dated 24th May, 2019, S.O. No.1954(E) dated 11.06.2019, S.O. No. 2525(E) dated 15th July, 2019 and S.O. No.2603 (E) dated 18th July, 2019 and S.O. No. 3141(E) dated 29th August, 2019; S.O. No. 3594(E) dated 1st October, 2019 and S.O. No.3845(E) dated 24th October, 2019 and S.O. No. 4083(E) dated 8th November, 2019 and S.O. 4615 (E) dated 21st December, 2019 and S.O. 352 (E) dated 24th January, 2020 81. S.O. 488 (E) dated 31st January, 2020 82. S.O. 953 (E) dated 2nd March, 2020 2020 and S.O. No. 1404(E) dated 27th April, 2020, S.O. No.2390(E) dated 20th July, 2020; S.O. No.3646(E) dated 14th October, 2020 and S.O. No.4243(E) dated 17th November, 2020 and S.O. No.681(E) dated 10th February, 2021, S.O.No.1491(E) dated 7th April, 2021, S.O. No.2511(E) dated 10th June, 2021, S.O. No.2512(E) dated 10th June, 2021 and S.O. No.4265(E) dated 13th October, 2021, S.O.No.1885(E) dated 5th April, 2022, S.O. No 3456 (E) dated 26th July, 2022, S.O. No. 3777 (E) dated 3rd August, 2022, S.O. No. 4551 (E) dated 26th September, 2022, S.O. No. 4871 (E) dated 13th October, 2022, S.O. No. 5167 (E) dated 28th October, 2022. S.O. No. 5401 (E) dated 21st November, 2022 and S.O. No. 5573 (E)

